

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या 209 /2021

2021
507

वादी -

श्री अनुराग गोदपुत्र बाबुराम
जारी कृष्ण नि अग्रवालपुत्र

तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :-

अनुराग गोदपुत्र श्री अनुराग
लेहरी जी बाबुराम

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काष्ठाकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा व दुरुस्ती

- उपस्थिति :- 1. श्री अनुराग स्वयं वादी।
2. श्री अनुराग प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक :- 12/11/2021

वादी के द्वारा वादपत्र के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी व कब्जा काष्ठा की भूमि खेत खसरा नं 2879 रकबा 49.17 बीघा,

सरहद मौजा अग्रवालपुत्र तहसील पचपदरा मे स्थित है जिस पर वादी का कब्जा काष्ठा है। वादी के बचपन में लाड प्यार से बोले जाने वाला नाम श्री अनुराग गोदपुत्र होने से राजस्व रेकर्ड में श्री अनुराग गोदपुत्र दर्ज किया गया, जबकि वादी का अन्य सभी दस्तावेजात भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, राषन कार्ड में वादी का नाम श्री अनुराग गोदपुत्र बाबुराम दर्ज है। वादी को किसान कार्ड बनाने, किसान अनुदान लेने, अन्य सरकारी योजनाओं का फायदा प्राप्त करने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। वादी ने राजस्व रेकर्ड में अंकित गलत नाम इन्द्राज श्री अनुराग गोदपुत्र के स्थान पर श्री अनुराग गोदपुत्र सही नाम घोषित करवाने का निवेदन किया गया।


प्रतिवादीगण संख्या 1 राजस्थान राज्य की तरफ से ईकबाली जबाबदाया पेय कर वादी के वाद पत्र के समस्त तथ्यों को सही होना स्वीकार किया गया एवं वादी का बचपन नाम श्री. राजाराम पुत्र के स्थान पर श्री. राजाराम पुत्र, पुत्र शंकर दुरुस्ती की जाती है, तो उन्हें कोई आपत्ति व उज्र एतराज नहीं है।

वाद पत्र में अंकित तथ्यों की जांच तहसीलदार पंचपदरा तहसील पंचपदरा से करवाई गई। राजस्थान राज्य की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें नाम दुरुस्ती करने की सहमति प्रकट की गई है।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि खेत खसरा नं 2879 रकबा 49.12 बीघा, सरहद मौजा सुभावापुर तहसील पंचपदरा वादी का नाम बचपन में लाड-प्यार का नाम श्री. राजाराम पुत्र दर्ज किया गया वादी द्वारा साक्षी में प्रस्तुत दस्तावेजात में अर्थात अन्य सरकारी व अन्य अर्द्धसरकारी दस्तावेजों सरपंच ग्राम पंचायत समझौता एवं तहसीलदार पंचपदरा की जांच रिपोर्ट के अवलोकन स्पष्ट साबित है कि वादी के बचपन का नाम श्री. राजाराम पुत्र दर्ज किया गया है वादी का सही नाम श्री. राजाराम पुत्र है, ऐसी स्थिति में वादी के वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पंचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर खेत खसरा नं 2879 रकबा 49.12 बीघा, सरहद मौजा सुभावापुर

वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम श्री. राजाराम पुत्र के स्थान पर श्री. राजाराम पुत्र खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पंचपदरा को आदेषित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें।
निर्णय आज दिनांक 17-11-2021 को कोर्ट केम्य कोर्ट सुभावापुर में मजमे आम में सुनाया गया।


न. स. जैसवाल
पैदासीन अधिकारी सप्लाइ अधिकारी वदेन सहायक कलक्टर
बालोतरा, प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021
कैम्य ग्राम पंचायत ए.स.

